रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938
No. 891] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1180(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 32, धारा 74 और धारा 77 के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**13. धारा 32 की उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन राशि का संदाय.**—अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) या उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियोजक या ऋणी किसी प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में ऐसे निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, जिसने यथास्थिति, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अध्यपेक्षा की है, के पक्ष में आहरित संदाय आदेश के द्वारा राशि का प्रेषण करेगा।

14. धारा 74 के अधीन सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश या अन्य संसूचना की तामील.—(1) धारा 74 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वे पते (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश के लिए पता भी है), जिस पर अधिनियम के अधीन कोई सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश या कोई अन्य संसूचना परिदत्त या पारेषित की जा सकेगी, वे होंगे, जो उपनियम (2) और उपनियम (3) में यथाउपबंधित हैं ।

(2) धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित रीति में संसूचनाओं को परिदत्त या पारेषित करने के लिए पते निम्नलिखित होंगे—

(i) प्रेषिती के पैन डाटा बेस में उपलब्ध पता ; या

(ii) आय-कर अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरणी में उपलब्ध ऐसा पता, जिससे संसूचना संबंधित है ; या

(iii) प्रेषिती द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन प्रस्तुत अंतिम विवरणी में उपलब्ध पता ; या

(iv) प्रेषिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

परंतु जहां प्रेषिती किसी कर प्राधिकारी या संसूचना को जारी करने वाले ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संसूचना के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य पता लिखित में प्रस्तुत करता है, वहां संसूचना को मद (i) से मद (iv) में उल्लिखित पते पर परिदत्त या पारेषित नहीं किया जाएगा ।

(3) धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उपबंधित रीति में संसूचनाओं को इलैक्ट्रानिक रूप से परिदत्त या पारेषित करने के लिए पते निम्नलिखित होंगे—

(i) प्रेषिती द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरणी में उपलब्ध ऐसा ई-मेल पता, जिससे संसूचना संबंधित है ; या

(ii) प्रेषिती द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन प्रस्तुत अंतिम विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iii) प्रेषिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(iv) प्रेषिती द्वारा कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।

(4) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), इलैक्ट्रानिक संसूचना के सुरक्षित पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और वह ऐसी संसूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेख संबंधी तथा पुन: प्राप्ति नीतियों के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

15. धारा 77 के अधीन अनुमोदित मूल्यांकक.—(1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसे मूल्यांककों का रजिस्टर कहा जाएगा और जिसमें अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित व्यक्तियों के नामों और पतों की मूल्यांककों के रूप में प्रविष्टि की जाएगी ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34कख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकक के रूप में अनुमोदन हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन मूल्यांकक के रूप में अनुमोदन हेतु कोई आवेदन प्ररूप 8 में होगा और वह उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित होगा तथा उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस लगी होगी, जिसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(4) उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उस मास के, जिसमें प्ररूप 8 प्राप्त हुआ है, अंत से 15 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकक के रूप में ऐसे व्यक्ति को अनुमोदित करेगा ।

(5) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि प्ररूप 8 में प्रस्तुत ब्यौरे गलत या मिथ्या हैं तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात् अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकक के रूप में अनुमोदन के आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।"।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट में प्ररूप-7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 8

(नियम 15 देखें)

<u>कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित मूल्यांकन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन</u>

सेवा में,

श्रीमान मुख्य आयुक्त/आयुक्त

महोदय,

मैं, कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन .... (आस्तियों का वर्ग) के अनुमोदित मूल्यांकन के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर रहा हूं ।

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में लिखें) ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. स्थायी पता और मोबाइल सं. ....
....
....

4. वर्तमान पता: ....

(i) कार्यालय ....

(ii) निवास: ....
....

5. स्थायी लेखा संख्या (पैन) ....

6. जन्मतिथि ....

7. शैक्षणिक अर्हताएं, जिसके अंतर्गत व्यवसायिक या तकनीकी अर्हताएं भी सम्मिलित हैं ....

[स्वयं सत्यापित समर्थित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें ।] ....

8. (क) वर्तमान व्यवसाय ....

(ख) यदि फर्म का भागीदार है, फर्म का नाम, पता और कारबार/व्यवसाय ....

9. धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 34अआ के अधीन रजिस्टर्ड मूल्यांकन के रूप में नियुक्ति का ब्यौरा

(i) नियुक्ति की तारीख ....

(ii) प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रीकरण संख्या

(रजिस्ट्रीकरण के सबूत की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

सत्यापन

मैं,..[स्पष्ट अक्षरों में नाम] यह घोषणा करता हूं कि:-

(i) उपरोक्त आवेदन में जो भी कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है;

(ii) संलग्न दस्तावेज उसकी सत्य प्रतियां हैं; और

(iii) मैं, उपरोक्त क्रम संख्या (9) में निर्दिष्ट नियुक्ति की तारीख से धारा 34अआ के अधीन रजिस्टर्ड मूल्यांकक के रूप में बना रहना चाहता हूं ।

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची:-

(i) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34अआ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के सबूत की प्रमाणित प्रति ।

(ii) शैक्षणिक अर्हता के चित्रण के साथ समर्थित दस्तावेजों की स्वयं-प्रमाणित प्रति ।

टिप्पण: 1. कृपया कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 का नियम 15 देखें ।

2. 5000/रु0 की फीस अप्रतिदाय द्वारा इस प्ररूप के साथ संलग्न करें । यह सुझाव दिया जाता है कि फीस को निर्धारण अधिकारी से चालान प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी शाखा में जमा करना चाहिए । प्राप्ति चालान को आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए ।"।

[अधिसूचना सं. 123/2016/एफ. सं.133/33/2015-टीपीएल (भाग-I)]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 529(अ), तारीख 2 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

G.S.R. 1180(E).—In exercise of the powers conferred by section 85 read with section 32, section 74 and section 77 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules, to amend the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Rules 2015, namely :-

1. (1) These rules may be called the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Rules, 2015 (herein after referred to as the principal rules), after rule 12, following shall be inserted, namely:

"**13. Payment of sum under sub-sections (2) or (5) of section 32.—**For the purpose of sub-section (2) or sub-section (5) of section 32 of the Act, the employer or debtor, as the case may be, shall remit the sum by way of pay order, drawn on an authorised bank or a branch of the State Bank of India, or a branch of the Reserve Bank of India in favour of the Assessing Officer or the Tax Recovery Officer who has made requisition under sub-section (1) or sub-section (4) of section 32 of the Act, as the case may be.

14. Service of notice, summons, requisition, order or any other communication under section 74.—(1) For the purposes of sub-section (1) of section 74, the addresses (including the address for electronic mail or electronic mail message) to which a notice or summons or requisition or order or any other communication under the Act may be delivered or transmitted shall be as provided in sub-rule (2) and sub-rule (3).

(2) The addresses for communications to be delivered or transmitted in the manner provided in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 74 shall be-

(i) the address available in the PAN database of the addressee; or

(ii) the address available in the return furnished under the Income-tax Act to which the communication relates; or

(iii) the address available in the last return furnished under the income-tax Act by the addressee; or

(iv) in the case of addressee being a company, address of registered office as available on the website of Ministry of Corporate Affairs:

Provided that the communication shall not be delivered or transmitted to the address mentioned in item (i) to (iv) where the addressee furnishes in writing any other address for the purposes of communication to the tax authority or any person authorised by such authority issuing the communication.

(3) The addresses for communications to be delivered or transmitted electronically in the manner provided in clause (c) of sub-section (1) of section 74, shall be—

(i) the e-mail address available in the return furnished under the Income-tax Act by the addressee to which the communication relates; or

(ii) the e-mail address available in the last return furnished under the Income-tax Act by the addressee; or

(iii) in the case of addressee being a company, e-mail address of the company as available on the website of the Ministry of Corporate Affairs; or

(iv) any e-mail address made available by the addressee to the tax authority or any person authorised by such tax authority.

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for ensuring secure transmission of electronic communication and shall also be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to such communication.

15. Approved valuer under section 77.—(1) The Principal Commissioner or Commissioner shall maintain a register to be called the Register of Valuers in which the names and addresses of persons approved under sub-section (1) of section 77 of the Act shall be entered as valuers.

(2) Any person who is registered as a valuer under section 34AB of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), may apply to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner for being approved as valuer under sub-section (1) of section 77 of the Act.

(3) An application for approval as a valuer under sub-rule (2) shall be in Form 8 and shall be verified in the manner specified therein and shall be accompanied by a fee of rupees five thousand which shall not be refunded.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Principal Commissioner or Commissioner shall, within fifteen days from the end of the month in which Form 8 is received, approve such person as valuer under sub-section (1) of section 77 of the Act.

(5) The Principal Commissioner or Commissioner on being satisfied that the details furnished in Form 8 are incorrect or false may, after providing a reasonable opportunity of being heard, reject the application for approval as a valuer under sub-section (1) of section 77 of the Act.".

3. In the principal rules, in the Appendix, after Form-7, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form 8

(See rule 15)

Application for registration as an approved valuer under sub-section (1) of section 77 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015

To

The Principal Commissioner/Commissioner,

Sir,

I hereby apply for recognition as an approved valuer of ______________________________ (class of assets) under sub-section (1) of section 77 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.

1. Name in full (block letters) ____________________________________

2. Father's/husband's name ____________________________________

3. Permanent address and Mobile No. ____________________________________

____

____

4. Present address:

(i) Office ____________________________________

____

(ii) Residence ____________________

____

5. Permanent Account Number (PAN) ____________________

6. Date of birth ____________________

7. Educational qualifications, including professional or technical qualifications ____________________

[*enclose self-certified copy of supporting documents]* ____________________

8. (a) Present occupation ____________________

(b) If a partner of a firm, name, address and business/ profession of the firm ____________________

9. Details of appointment as registered valuer under section 34AB of the Wealth-tax Act, 1957:

(i) Date of appointment ____________________

(ii) Certificate/Registration number ____________________

(*Attach certified copy of proof of registration*)

Verification

I, ____________________ [name in block letters] do hereby declare that, -

(i) what is stated in the above application is true and correct to the best of my knowledge and belief;

(ii) the documents enclosed are the true copies thereof; and

(iii) I continue to remain as registered valuer under section 34AB from the date of appointment referred in serial number (9) above.

Place _____________.

Date _____________. Signature

List of enclosures:

(i) Certified copy of proof of registration under section 34AB of the Wealth-tax Act, 1957.

(ii) Self-certified copy of supporting documents depicting educational qualification.”.

Note. 1. Please see rule 15 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Rules, 2015.

2. This Form must be accompanied by a non-refundable fee of Rs. 5,000/-. It is suggested that the fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining a challan from the Assessing Officer. The receipted challan should be enclosed along with the application."

[Notification No. 123/2016/F. No. 133/33/2015-TPL (Part-I)]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 529(E), dated the 2nd July, 2015.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.28 22:16:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.